क्रम संख्या–13 (च) पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 19 जनवरी, 2018 ई0

पौष 29, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 70 / XXXVI(3) / 2018 / 97(1) / 2017

देहरादून, 19 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित '**सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, 2016**' पर दिनांक 18 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2018)

उत्तराखण्ड में गौरव भारती शिक्षा संस्थान सोसाईटी, देहरादून द्वारा प्रयोजित एक अल्पसंख्यक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बधित या अनषुंगित विषयों की व्यवस्था करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के अधिनियम अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. (1) यह अधिनियम "सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016'' है।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाऐं 2. जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में–

(क) "विद्या परिषद" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "कुलाधिपति" "कुलपति" तथा "प्रति कुलपति" से क्रमशः विश्वविद्यालय के "कुलाधिपति", "प्रति कुलपति अभिप्रेत है;

(घ) "कोर्ट" से विश्वविद्यालय की कोर्ट अभिप्रेत है;

(ड.) "निदेशक"/"प्राचार्य" से संस्था, महाविद्यालय, पॉलिटैक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति के रूप में कार्य करने के लिये प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक और कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्य परिषद" से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है;

(झ) "संकाय" से विश्वविद्यालय की संकाय अभिप्रेत है;

(ञ) "छात्रावास" से विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के निवास अभिप्रेत है;

(ट) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" से विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों अभिप्रेत है;

(ढ) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गौरव भारती शिक्षा संस्थान, सोसाइटी, देहरादून अभिप्रेत है;

(ण) "परिनियमों और अध्यादेशों" से तत्समय प्रवृत्त क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों अभिप्रेत है;

(त) "छात्र" से विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रर में दर्ज कोई छात्र अभिप्रेत है;

(थ) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" से आचार्यों, सहयुक्त आचार्यों, उपाचार्यों, सहायक आचार्यों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदभिहित किया जाए;

(द) "कोषाध्यक्ष" "कुलसचिव", "उपकुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" से कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उपकुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक अभिप्रेत है;

(ध) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा स्थापित सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(न) "कुलाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है;

विश्वविद्यालय की स्थापना 3. (1) उत्तराखण्ड राज्य में देहरादून में सोसाईटी द्वारा सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड के नाम से स्थापित की जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय स्थापना के लिए शर्तें 4. प्रायोजक संस्था, सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा या उसके द्वारा पूरी कर ली गयी है;

(क) विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम 10 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व है;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर न्यूनतम 20000 वर्ग मीटर कारपेट ऐरिया में भवन निर्माण जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए है;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम चार करोड़ रूपये की लागत से कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में उपस्करों की स्थापना की गई है;

(घ) राज्य सरकार के सोसाइटी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित समस्त शर्तें पूरी करने पर सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय के प्रस्ताव

एवं सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त सन्तुष्ट होने पर सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

विश्वविद्यालय का आरम्भ 5. (1) राज्य सरकार सोसाइटी द्वारा धारा (4) में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने के प्रस्ताव एवं सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त ही, प्राधिकार पत्र जारी करेगी।

(2) राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के संचालन प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही सोसाइटी विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य 6. विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझें, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी व्यवस्थाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रचार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधाऐं प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा–

(क) नये पाठ्यक्रमों की संरचना, अध्ययन एवं सीखने की नई पद्धति;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सदभाव और नैतिकता का अभियंत्रीकरण; और

(ड) सिख अल्पसंख्यकों को उनके समग्र विकास के लिए मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही साथ भारत के सिख समुदाय के विकास के लिए सभी आधुनिक और श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान कर उनका उत्थान करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ 7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार की निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवं सत्कार प्रबन्धन, विधि एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि पाठ्यक्रमों का संचालन संस्थागत केन्द्र द्वारा एवं राज्य के भीतर मुख्य परिसर से इतर ऑफ कैम्पस सेन्टर/दूरस्थ शिक्षा का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमति के उपरान्त नियमानुसार किया जायेगा।

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर, एमेरिट्स की उपाधि से सम्मानित करना।

(घ) विश्वविद्यालय अपने नियमों के अधीन परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं में उपाधियों प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारणों से इन डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं की उपाधियों को वापस लेना।

(ङ.) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना।

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, शिक्षा प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं।

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहयुक्त आचार्य पद, उपाचार्य पद, सह आचार्य, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियाँ करना।

(ज) प्रशासनिक लिपिक वर्गीय और पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना।

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना।

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना।

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना।

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, छात्रावासों/आवासों की स्थापना, तथा उनका पर्यवेक्षण करना, अनुरक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना।

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजनों के लिये अन्य संस्थाओं या ईकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

(न) परिनियमों के अनुसार केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना।

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है।

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना।

(द) छात्राओं एवं सिख समुदाय के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसे विश्वविद्यालय वांछनीय समझे।

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिये व्यवस्था करना।

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पतियां भी हैं, अर्जन धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना।

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना या बन्धक रखना।

(ब) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए संविदा या अन्य किसी आधार पर विजिटिंग प्रोफेसर, ऐमेरिटस प्रोफेसर, परामर्शकों, विद्वानों एवं कलाकारों आदि को नियुक्त करना।

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक अनुषांगिक या सहायक हों जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से अनुमोदित हो।

प्रवेश और मानक 8. (1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय फार्मेसी परिषद् तथा विधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पक्षावलम्बियों के लिये होगा

9. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

परन्तु यह कि इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को सिख अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न पदों पर नियुक्तियों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में आरक्षण के लिए समुचित उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी जो 50 प्रतिशत से अनाधिक हो।

कुलाध्यक्ष

10. (1) उत्तराखण्ड राज्यपाल विश्वविद्यालय का "कुलाध्यक्ष" होगा।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थानों, महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट विवादित मामलों में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति कुलपति;

(घ) निदेशक/प्रधानाचार्य;

(ङ) कुलसचिव;

(च) कोषाध्यक्ष;

(छ) संकायाध्यक्ष;

(ज) परीक्षा नियंत्रक;

(झ) मुख्य नियंता;

(ञ) वित्त अधिकारी;

कुलाधिपति

12. (1) कुलाधिपति के पद पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सोसाइटी की प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।

(2) कुलाधिपति सोसाइटी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) कुलाधिपति सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा एवं पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर लें।

(5) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(6) कुलाधिपति यदि उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलपति

13. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् एवम् कार्यकारी परिषद और योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14. (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जो ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाए।

निदेशक/प्राचार्य 15. निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।

कुलसचिव 16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष 17. प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियम में विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष 18. कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियम में विहित किया जाय।

परीक्षा नियंत्रक 19. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियमों में विहित किया जाय।

मुख्य नियंता 20. मुख्य नियंता की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियम में विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी 21. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि परिनियम में विहित किया जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगेः–

(क) कोर्ट;

(ख) कार्य परिषद्;

(ग) विद्या परिषद्;

(घ) वित्त समिति;

(ङ.) नियोजन बोर्ड;

(च) संकाय बोर्ड;

(छ) प्रवेश समिति;

(ज) परीक्षा समिति;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाए।

कोर्ट

23. (1) कोर्ट के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, यथाः–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) ऐसे किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना जो उसे परामर्श हेतु संदर्भित किये जाय ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

24. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाए।

विद्या परिषद्

25. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

वित्त समिति

26. (1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड 27. (1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी 28. संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे किये जाय।

प्राधिकारी को परिनियम बनाने की शक्ति 29. (1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वयन करने के लिये परिनियम बनाएगी तथा प्रथम परिनियम राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेगे।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुऐ परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य।

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले, जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो।

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और परिलब्धियाँ।

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ।

(ड.) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्तिक लोगों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है।

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाला सिद्धान्त।

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया।

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्यपरिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया।

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना।

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना।

(ड) छात्रों के अन्य अनुशासन को बनाये रखना।

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना।

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन, और

(त) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद् निर्देश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तदानुसार जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

30. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन।

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना।

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम।

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय।

(ड.) विश्वविद्यालय में अध्यापित पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क।

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ पदकों और पारितोशिकों को प्रदान करने की शर्तें।

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमांकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है।

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें।

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों और उनके लिए विष्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना।

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ।

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना।

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभामिता की रीति।

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय के सृजन, संरचना और कृत्य।

(ढ) परीक्षकों, अनुसीनकों, अन्तनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक।

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

वार्षिक रिपोर्ट 31. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा **32.** (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी तथा कार्यपरिषद द्वारा उन पर अपनी अभियुक्तियों के साथ कुलाध्यक्ष व राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति कार्यपरिषद् के प्रेक्षण सहित सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें **33.** (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो मामले को सन्दर्भित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अपील करने का अधिकार 34. (1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए ।. विद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया . अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को यथास्थिति उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबन्धित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

35. विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन, कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36. यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

37. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सम्बन्धित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त या नाम निर्दिष्ट या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिए जो नियुक्त या सहयोजित किया गया हो यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

40. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन सूचना कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन सूचना, आदेश, कार्यवाही संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित मामले और संव्यवहार के जहां मूल प्रस्तुत किया जाए, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

41. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

42. प्रस्तावक ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड धनराशि रूपये दो करोड़ की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक गारन्टी के रूप में स्थापित की जायेगी जिसकी अवधि पांच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त उसे पुनः पांच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जायेगा।

सामान्य निधि

43. (1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी अर्थातः–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित किया जाए ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

44. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी अर्थातः–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है।

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि।

(ग) सोसाईटी द्वारा किये गये सभी अंशदान।

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान और

(ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण 45. धारा 42, 43 एवं 44 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाए।

वित्तीय शर्तें 46. विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क 47. विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

सूचना और अभिलेख मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ 48. (1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करें जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाए।

(2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा–52 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझें।

विश्वविद्यालय का विघटन 49. (1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह का लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय 50. (1) धारा 48 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय

विश्वविद्यालय की सम्पत्तियां या अस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

51. (1) जहाँ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी भी नियमों का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गये नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में दुष्प्रबंधन या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो यह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथित उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टितः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थातः–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पूर्वक परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देष देगी कि वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दें।

(6) यदि जांचोपरान्त यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विंश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधियाँ विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा न करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान सभा के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

52. राज्य सरकार समय – समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जैसा यह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53. (1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (उत्तराखण्ड यथाप्रवृत्त) के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहें यह उपान्तरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें प्रभावी होंगे;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,

प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह विनिश्चिय किया गया है कि गौरव भारती शिक्षा संस्थान, सोसाइटी, देहरादून जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तराखण्ड के देहरादून में सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड के नाम से एक सिख अल्पसंख्यक शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करके उसको निगमित किया जाय जिससे कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पाठ्यक्रमों की समुचित संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रषस्त करने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधाऐं प्रदान की जा सकें।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

मंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 विधायी / 74—2018—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।